

कार्यालय आदेश

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र दिनांक 26.03.2021 में श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री माली राम शर्मा के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीबद्ध होना बताया है-

क्रस	भर्ती एवं भर्ती वर्ष	नाम अभ्यर्थी	Act Section	Present Status	विशेष विवरण
1	प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 (वाणिज्य)	विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री माली राम शर्मा	307(IPC 1860), 452(IPC1860), 323(IPC1860), 341(IPC1860)	Acquitted	फैसला दिनांक 13.07.2010 में 341,232, 452,120वी थाना गोविन्दगढ़ जयपुर में फैसला दिनांक 13.07.20 को श्रीमान् न्यायालय चौमू ने 452, 120वी, मा. द.स. राजीनाम एवं दोषमुक्त किया गया।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दोषमुक्ति के संबंध में विभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित थे, द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का समुचित परीक्षण किया गया।

श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री माली राम शर्मा के विरुद्ध कार्यालय जिला कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र क्रमांक 2413351 दिनांक 26.3.21 में श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री माली राम शर्मा प्रकरण संख्या 160/2005 दिनांक 04.08.2005 धारा 307(IPC 1860), 452(IPC1860), 323(IPC1860), 341(IPC1860) गोविन्दगढ़/जयपुर/रूरल/राजस्थान में अपराध पंजीकृत होना पाया गया एवं श्री मान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के क्रमांक एफ/न्याय/विधिक-1/1634/10/21/507 दिनांक 06.04.2021 के द्वारा केस नं. 771/5 एफआईआर संख्या 160/5 पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जयपुर बनाम विनय कुमार माननीय एसीजीएम चौमू -जयपुर निर्णय दिनांक 13.07.2010 के संबंध में इस कार्यालय द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र माली राम शर्मा को शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय सेवा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर जिला अजमेर में व्याख्याता वाणिज्य के पद हेतु नियोजित किए जाने की अनुशंसा की जाती है। आदेश के शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी। उक्त कार्मिक को दिनांक 10.6.21 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा इनकी नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 31.5.2021

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/पीएससी 2018/शिकायत जांच/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 3 प्रधानाचार्य राबाउमावि पुष्कर-अजमेर।
- 4 अभ्यर्थी श्री विजय कुमार शर्मा -756886 मेरिट नम्बर 71
- 5 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर